



2026:AHC:18889

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 300/2026

बाबू रामयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बाबू राम यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर चकबंदी अधिकारी, रामनगर भड़सर, जिला-जौनपुर को यह निदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा वाद संख्या 199, 200, 202 (फूलदेई बनाम सरकार) में उ.प्र. चकबंदी जोत अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी, रामनगर भड़सर, जिला-जौनपुर द्वारा दिनांक 05.02.2015 को पारित एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध दिनांक 17.02.2016 को दायर प्रत्यावर्तन आवेदन का विनिश्चय यथाशीघ्र एक माह के भीतर करे।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित करना उचित समझता है, बिना रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई अवलोकन किए, प्रत्यर्थी संख्या-2 को यह निर्देश देते हुए कि वे उक्त मामले को विधि के अनुसार, एक आख्यापक और सकारण आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **पाँच माह** की अवधि के भीतर, विनिश्चित करें।

5. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

28 जनवरी, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)